5 रु कोर्ट फी COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

# न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण कं. /2013 जिला उमरिया R - 1685 - III/13

1. रामधनी पुत्र स्व. राजाराम अहीर
2. गुलाब पुत्र जयपाल अहीर

दोनों निवासी ग्राम चंदिया तहसील चंदिया जिला उमिरया (म.प्र.)

..... आवेदकगण

श्री के० के० द्विवेदी एडवो० द्वारा आज दि. 2.5.2013 को प्रस्तुत 2-5-13 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

रमजान खान पुत्र स्व. दीनदार मुसलमान निवासी ग्राम चंदिया तहसील चंदिया जिला उमरिया (म.प्र.) हाल मुकाम धनपुरी जिला शहडौल (म.प्र.)

......... अनावेदकगण

**न्यायालय अपर कलेक्टर जिला उमरिया द्वारा प्रकरण कमांक 54 / स्वमेव निगरानी / 2010–11 में पारित आदेश दिनांक 24.4.2013 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण ।**

2-5-13 K.K. Dwivedi Advocate

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

1– यह कि, ग्राम नरियरा तहसील चंदिया में स्थित भूमि खसरा कांक 402 / 453 रकवा 1.753 हे. आवेदकगण के स्वत्व स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि

375



## न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–1685–तीन/2013 जिला–उमरिया

रामधनी व अन्य विरूद्ध रमजान खान

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 18–03–2019 | प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री के.के. द्विवेदी एवं कैबियटकर्ता श्री मुकेश भार्गव अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला–उमरिया के प्रकरण क्रमांक 54/स्व.निग./2010–11 में पारित आदेश दिनांक 24–04–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त शहडोल संभाग, शहडोल के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।<br>2/ पक्षकार दिनांक 13–05–2019 को आयुक्त के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।<br><br>(आर0के0 जैन)<br>सदस्य 18/3/19 | |